भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2983

बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन

2983. श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत अब तक लाभान्वित परिवारों की संख्या कितनी है और हाथरस जिले में लाभार्थियों एवं स्थापित रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग के परिवारों को लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु लाभार्थियों द्वारा किए गए निवेश पर आसान बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को कोई विशेष प्रोत्साहन अथवा सहायता प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में रूफटॉप सौर क्षमता का विस्तार करने तथा ग्रिड एकीकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क): पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के अंतर्गत, फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत से, दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार देश भर में कुल 41,19,791 रूफटॉप सौर प्रणालियां स्थापित की गई हैं, जिसस 49,62,050 घर लाभान्वित हुए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, कुल 7,15,952 आरटीएस प्रणालियां स्थापित की गई हैं, जिससे 7,23,616 घर लाभान्वित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में योजना के अंतर्गत, कुल 4508 आरटीएस प्रणालियां स्थापित की गई हैं, जिससे 4510 घर लाभान्वित हुए हैं

(ख): कम आय वाले परिवारों को पीएमएसजी: एमबीवाई का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) आरटीएस क्षमता के पहले दो केडब्ल्यूपी के लिए बेंचमार्क लागत के 60% तक उच्च केंद्रीय वित्तीय सहायता।

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात् वर्तमान के लिए 5.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल-फ्री) ऋण की उपलब्धता। जनसमर्थ पोर्टल के एकीकरण के साथ योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

(iii) इसमें रेस्को/उपयोगिता-आधारित एकीकरण (ULA) मॉडल शामिल हैं।

(ग) और (घ): पीएमएसजी: एमबीवाई में आरटीएस के माध्यम से विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों, डिस्कॉम और स्थानीय निकायों के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(i) पिछले वर्ष की तुलना में एक वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धिशील आरटीएस क्षमता वृद्धि के आधार पर डिस्कॉम को प्रोत्साहन

(ii) मॉडल सौर गांवों के विकास के लिए प्रति गांव 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, प्रत्येक जिले में एक, और

(iii) ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) सहित स्थानीय निकायों को प्रति आरटीएस स्थापना के लिए 1000 रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है ताकि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर आवासीय रूफटॉप सौर ऊर्जा की तैनाती को आगे बढ़ाने में सक्षम हों और योजना के तहत प्रतिष्ठानों की संख्या को अधिकतम करने के लिए स्थानीय एकजुटता के प्रयास कर सकें।

(ड.): स्थापना दर में वृद्धि करने और उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में इस योजना को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के सीधे वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात् वर्तमान के लिए 5.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल-फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके, विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- राष्ट्रीय पोर्टल में नेट मीटरिंग करार को, अलग से अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर, आवेदन का एक हिस्सा बनाया गया।
- संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी विनियमों के अनुसार आवासीय बिजली कनेक्शनों के लिए नेट-मीटरिंग का प्रावधान।

- वेंडर के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि पर्याप्त और योग्य वेंडर उपलब्ध हो सकें।
- कुशल मैनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन, टी.वी. विज्ञापन अभियानों, एफएम स्टेशनों सहित क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों आदि के माध्यम से देश में जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से योजना के बारे में जागरुकता पैदा करना।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है।
- क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
- शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

इसके अतिरिक्त, एमएनआरई और आरईसी लिमिटेड, पीएमएसजी: एमबीवाई के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) के रूप में, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी डिस्कॉम के साथ निकट समन्वय में काम करते हैं।
